


न्यायालय माननीय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)



RS-201

808
20-11-14

R- 4112- III 114

1- फूलचन्द्र कोल तनय रामगरीब कोल उम्र 50 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी ग्राम खैरा, तहसील हुजूर, वृत्त गोविन्दगढ़, थाना चोरहटा, जिला रीवा म०प्र०

2- शेषमणि कोल तनय फूलचन्द्र कोल उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम खैरा, तहसील हुजूर, वृत्त गोविन्दगढ़, थाना चोरहटा, जिला रीवा म०प्र०

दिनांक 3834

पोस्ट द्वारा आज को प्राप्त

आवेदकगण

बनाम

12-14

शेषमणि कोल तनय फूलचन्द्र कोल उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम खैरा, तहसील हुजूर, तहसील हुजूर, वृत्त गोविन्दगढ़, थाना चोरहटा, जिला रीवा म०प्र०

वृत्त गोविन्दगढ़, थाना चोरहटा, जिला रीवा म०प्र० अनावेदिका

श्री. सुलेख. कृष्ण प्रसा. प्रभा. प्रह
द्वारा आज दिनांक 20-11-14 को
प्राप्त किया गया।
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण प्रकरण विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़, आदेश दिनांक 12.06.2013 एवं आदेश दिनांक 01.03.2014 जरिये प्रकरण क०-13 अ-70/12-13

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू० राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

1- यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 12.06.2013 एवं दिनांक 01.03.2014 विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।


2- यह कि अनावेदिका द्वारा एक आवेदन न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर, वृत्त गोविन्दगढ़ के न्यायालय में दिनांक 12.06.2013 को आवेदन पत्र जमा कर आदेश के अन्तर्गत कानून की शर्तों के अनुसार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.4117-III/14

जिला-रीवा

फूलचन्द्र कोल वगैरः/रामकली सिंह

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	